न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/38/2020

1. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति चांद पत्नि श्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादीगण)

बनाम

1. श्री धीसालाल पुत्र श्री नन्दराम जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– **1. वकील वादी धर्मवीर बामनिया**
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26.07.2022

वादी ने इस वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071--2074 के खाता सं. 233 में दर्ज खसरा नं. 4549 रकबा 0.13, 4574 रकबा 0.02, 4576 रकबा 0.13, 4673 रकबा 0.26, 4680 रकबा 0.36, 4682 रकबा 0.24, 4684/5923 रकबा 0.04 4690 रकबा 0.49, 4691 रकबा 0.04, 4693 रकबा 0.06, 4695 रकबा 0.07 किता–1.84 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा हैं एवं अपने इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादीगण उक्त संयुक्त आराजीयात में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का विधिवत विभाजन कर अलग--अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। नोटिस तामिली बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

आराजीयात होना पूर्णतया स्वीकार है। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता है अतः वाद पत्र के संदर्भ में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है एवं उक्त आराजीयात में रिकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य में न्यायसंगत होना पाया गया।

–:आदेश:–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 233 में दर्ज खसरा नं. 4549 रकबा 0.13, 4574 रकबा 0.02, 4576 रकबा 0.13, 4673 रकबा 0.26, 4680 रकबा 0.36, 4682 रकबा 0.24, 4684/5923 रकबा 0.04, 4690 रकबा 0.49, 4691 रकबा 0.04, 4693 रकबा 0.06, 4695 रकबा 0.07 किता–1.84 है0 भूमि का मिटस एवं बाउण्ड के आधार पर उपवर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्रथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।
निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.)

राजेन्द्र वगै0 बनाम धीसालाल वगै0

(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 38/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अधिवक्ता धर्मवीर बामनिया व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू .... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 233 में दर्ज खसरा नं. 4549 रकबा 0.13, 4574 रकबा 0.02, 4576 रकबा 0.13, 4673 रकबा 0.26, 4680 रकबा 0.36, 4682 रकबा 0.24, 4684/5923 रकबा 0.04, 4690 रकबा 0.49, 4691 रकबा 0.04, 4693 रकबा 0.06, 4695 रकबा 0.07 किता–1.84 है0 में वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के मध्य मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उनके हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम कर नक्शें में तरमीम बंटवारा प्रस्ताव तलब किए जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

निजी.....................X.....................मुबलिक.........................X.......................बाबत्..................X....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..................................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक....................X.................... को अदा करें।

वसूलियाव तक...................X...................... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2022 को प्रारंभिक डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.........................

ओहदा..........................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–	स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीशनर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–			
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मिजान			मिजान		

नोट– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/38/2020

1. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति चांद पत्नि श्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादीगण)

बनाम

1. श्री घीसालाल पुत्र श्री नन्दराम जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज